(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12 / 2024

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2024 / 45

बउनवान

राज. सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री हेमंत मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा जाति महाजन निवासी खानपुर रोड, कवाई जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स कृष्ण सुदामा किराना स्टोर, खानपुर रोड, कवाई जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स कृष्ण सुदामा किराना स्टोर, खानपुर रोड, कवाई जिला बारॉ (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 22.05.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2023 को मैसर्स कृष्ण सुदामा किराना स्टोर, खानपुर रोड, कवाई जिला बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर हेमंत मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा महाजन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु **सोयाबीन तेल (खुला)** दो प्लास्टिक कैन में लगभग 20 लीटर रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर **सोयाबीन तेल (खुला)** मे मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा **सोयाबीन तेल (खुला)** 1600 एम.एल. स्टील के भगोने में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत जिशान मोहम्मद पुत्र अब्दुल एजाज (विक्रेता एवं मालिक) को 160/– रूपये (अक्षरे एक सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर [illegible] की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:42 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा सोयाबीन तेल (खुला) को [illegible] के भगोने में एकरूप कर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर [illegible] बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–1954 [illegible] किया। प्रत्येक लेबल पर [illegible] हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1954 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे हेमंत मंगल पुत्र श्री कृष्ण सुदामा महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र कमांक/एफएसएसए/2023/408 दिनांक 29.09.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1454/PHL/Kota/Act/2023/1462 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 2.3.15(b) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी **सोयाबीन तेल (खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विकय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 2.3.15(b) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी किराने की दुकान लगाकर अपना पालन–पोषण करता है। अप्रार्थी ने शिवब्राण्ड सोयाबीन का तेल खरीदकर अपनी टंकी में खाली किया था जो गरीब तबके के लोग आते है उनको खुदरा तेल बेचा जाता है। अप्रार्थी द्वारा उस तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है और न हीं तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अप्रार्थी की छोटी दुकान होने के कारण एक साथ बडा जार क्रय नहीं कर सकते है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1454/PHL/Kota/Act/2023/1462 दिनांक 01.09.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय **सोयाबीन तेल (खुला)** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1454/PHL/Kota/Act/2023/1462 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 2.3.15(b) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 58 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 15,000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक **22.05.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:42 IST
Reason: Self Attested

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)